

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

सरकार बनाम नरेन्द्र कुमार शर्मा


किस्म:- खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ; एस.आर.नं. :- एफ-3939; मुकदमा नम्बर:- 02/2024

12.06.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, जाति ब्राहमण (विक्रेता मालिक) निवासी रावजी का मोहल्ला, वार्ड नं. 10 नीम का थाना, मैसर्स- कान्हा रेस्टोरेन्ट वार्ड नं. 4, रेलवे भुगदा के पास, नीम का थाना उभय पक्ष उपस्थित। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.11.2023 को बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा समय 03:50 पी.एम. पर नीम का थाना में निरीक्षण के लिए पहुँचे। निरीक्षण के दौरान मैसर्स कान्हा रेस्टोरेन्ट वार्ड नं. 4, रेलवे भुगदा के पास, नीम का थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त मैसर्स पर विक्रेता उपस्थित था विक्रेता को मैंने अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, जाति ब्राहमण व स्वयं को मैसर्स का विक्रेता व मालिक होना बताया। विक्रेता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहा तो उसने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान मैसर्स कान्हा रेस्टोरेन्ट वार्ड नं. 4, रेलवे भुगदा के पास, नीम का थाना में खाद्य पदार्थ पनीर आदि का विक्रय किया जा रहा था। मैसर्स पर उपलब्ध एक फिज में लगभग 4 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसमें मिलावट की शंका होने पर उपलब्ध स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम पनीर का क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 350 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अवमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर एफ-3939 खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अवमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पाया गया। अवमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 11,000 रु के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि हैड 0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावे एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

  
(अनिल कुमार)  
अति. जिला कलक्टर,  
नीम का थाना

(अनिल कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
एवं अति. जिला कलक्टर  
नीमकाथाना